न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : असलम मेहर आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 125/2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– जसराज पुत्र सुजाराम 2– चम्पादेवी पुत्री सुजाराम जातियान घांची निवासीगण गांव आऊवा तहसील मारवाड जंक्शन, जिला पाली		1– सुरेन्द्र आसोपा पुत्र बाबूलाल जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड नंबर 13, राजलदेसर तहसील रतनगढ, जिला चुरू 2– धापूदेवी पुत्री सुजाराम जाति घांची निवासी आऊवा तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली 3– ग्राम पंचायत आऊवा जरिये सरपंच, तहसील मारवाड जंक्शन, जिला पाली 4– तहसीलदार भूमिधारक मारवाड जंक्शन जिला पाली 5– राजेश मेवाडा पुत्र केसाराम मेवाडा निवासी आऊवा तहसील मारवाड जंक्शन, जिला पाली

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 22–2–2017 जो सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मारवाड जंक्शन द्वारा राजस्व अपील संख्या 4/2014 अनवान सुरेन्द्र आसोपा बनाम जसराज वगैरा मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री आवडदान उज्जवल अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– रेस्पो0 संख्या 1 से 3 एवं 5 बावजुद तामिल के अनुपस्थित ।
3– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 4 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 30–10–2019

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 सुरेन्द्र आसोपा ने ग्राम आऊवा के नामांतरकरण संख्या 1731 स्वीकृति दिनांक 20–11–2009 के विरूद्ध प्रथम अपील यह कथन करते हुए पेश की उक्त नामांतरकरण मे वर्णित भूमि स्व0 सुजा पुत्र नेना जाति घांची के खातेदारी की थी उक्त नामांतरकरण मे वर्णित भूमि का रजिस्टर्ड बेचान खातेदार सुजा पुत्र नैना कौम घांची ने उसके पक्ष मे दिनांक 27–2–2006 को कर दिया था तथा वक्त बेचान ही उक्त भूमि का कब्जा अपीलांट (वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1) को सुपुर्द कर दिया तब से ही अपीलांट का ही उक्त भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है परंतु उक्त खरीदसुदा भूमि के संबंध मे बेचान के आधार पर अपीलांट (वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1) का नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज नही होने के कारण खातेदार सुजा के फोत होने पर उक्त नामांतरकरण संख्या 1731 मृतक सुजाराम के विधिक वारिसान के नाम दर्ज करते हुए स्वीकृत कर दिया, जो विधिसम्मत नही होने से उसे निरस्त करने मे तथा सम्पूर्ण भूमि का नामांतरकरण बेचान दस्तावेज के आधार पर स्वीकृत करने का निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22–2–2017 के द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को स्वीकार

करते हुए अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 1731 ग्राम आऊवा निरस्त कर तहसीलदार मारवाड जंक्शन को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया कि सरहद मौजा आऊवा के खसरा नंबर 408, 719 की भूमि का रजिस्टर्ड बेचान दस्तावेज की जांच कर दस्तावेज अनुसार नामांतरकरण की पुनः कार्यवाही कर पालना से अवगत करावे । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय से व्यथित होकर अपीलांटगण ने वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत होने पर अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पो0गण को नोटिस जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया ।

वकील अपीलांट एवं राजकीय अधिवक्ता उपस्थित । वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए तथा अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओं की ओर न्यायालय का ध्यान दिलाते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 15–12–2016 तक रेस्पो0गण के सम्मन तामिली एवं रेस्पो0 संख्या 2 के फोत हो जाने से कायम मुकाम की कार्यवाही मे चल रही थी तथा वकील अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 15–12–2016 की ओर ध्यान दिलाया जिसमे अपीलांट अधिवक्ता (वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1) ने उपस्थित होकर पत्रावली पर नोट प्रेस एवं नो इन्स्ट्रक्शन प्लीड कर दिये जाने पर अपीलांट की अपील को अधीनस्थ न्यायालय ने खारीज कर दी थी तथा पत्रावली को फेसलशुमार कर दिया था ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 के अधिवक्ता ने उपस्थित होकर पत्रावली पर नोट प्रेस एवं नो इन्स्ट्रक्शन प्लीड कर दिये जाने पर अपीलांट की अपील को दिनांक 15–12–2016 को ही खारीज कर दिया जाने के बाद अधीनस्थ न्यायालय मे वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता ने दिनांक 5–1–2017 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सहपठित धारा 151 सीपीसी का प्रस्तुत कर अपील को पुनः नंबर पर लेने का निवेदन किया जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने बिना पक्षकारान (वर्तमान अपीलांट) को नोटिस जारी किये तथा उन्हें सुनवाई का अवसर दिये बिना ही वर्तमान अपील के प्रत्यर्थी संख्या 1 के अधिवक्ता को एकतरफा सुनकर उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सहपठित धारा 151 सीपीसी का स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय की निर्णित अपील को पुनः नंबर पर ले ली गई जो विधि सम्मत नहीं था तथा यह भी कथन किया कि वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 की एकतरफा बहस सुनकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22–2–2017 को पारित कर दिया जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तो के विपरीत होने एवं विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने न्यायालय का ध्यान आदेश 9 नियम 9 सहपठित धारा 151 सीपीसी के प्रावधानो की ओर दिलाया जो वर्तमान अपील के पेज संख्या 3 पैरा ड मे उल्लेखित है, जिसमे दिये गये प्रावधान अनुसार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 सीपीसी के प्रावधान लागू ही नही होते थे क्योंकि उक्त प्रावधान तभी लागू होते जब वादी/अपीलांट की अनुपस्थिति मे वाद/अपील को खारीज किया गया हो परंतु वर्तमान मामले मे तो अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलांट के अधिवक्ता ने नोट प्रेस एवं नो इन्स्ट्रक्शन प्लीड किये जाने पर अपील को खारीज किया था इसलिए

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारीज की गई अपील को पुनः नंबर पर लेने बाबत पारित किया गया आदेश विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य था तथा अपीलांट अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर कोई आदेश तब तक पारित नही किया जा सकता जब तक कि ऐसे आवेदन की सूचना की तामिल विरोधी पक्षकार पर नही कर दी गई हो परंतु वर्तमान मामले मे ऐसी कोई सूचना या नोटिस वर्तमान अपीलांट को दिये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने वर्तमान प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 सीपीसी को स्वीकार करते हुए एकतरफा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22–2–17 को पारित कर दिया, जो विधि अनुकुल नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपीलांटगण के पिता द्वारा वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष मे एक बेचाननामा अवश्य निष्पादित किया था परंतु विक्रय विलेख मे उल्लेखित प्रतिफल की राशि प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा अदा नही करने के कारण अपीलाधीन भूमि का कब्जा कभी प्रत्यर्थी संख्या 1 को सुपुर्द नही किया गया था तथा अपीलाधीन भूमि पर वर्तमान अपीलांट ही काबिज काश्त है ।

वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे यह तथ्य भी प्रकट किया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष मे अपीलांट के पिता द्वारा निष्पादित विक्रय विलेख के आधार पर प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष मे नामांतरकरण संख्या 1508 दर्ज कर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत हुआ था परंतु अपीलाधीन भूमि के खातेदार सुजाराम (वर्तमान अपीलांट के पिता) स्वयं द्वारा आपत्ति करने पर उक्त म्युटेशन संख्या 1508 को ग्राम पंचायत के प्रस्ताव संख्या 6 दिनांक 20–8–06 के द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत आऊवा द्वारा खारीज कर दिया था जिसके विरूद्ध कोई कार्यवाही किये बिना तथा अधीनस्थ न्यायालय मे उक्त तथ्य को प्रकट किये बिना अपील प्रस्तुत कर जो अपीलाधीन निर्णय हासिल किया है, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही के दौरान तुलसीदेवी पत्नी सुजाराम रेस्पो0 संख्या 2 थी जिसकी फोतेदगी की जानकारी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हो जाने के बावजुद उसके कायम मुकाम को रेकर्ड पर लिये बिना अथवा उसका नाम डिलीट किये बिना ही मृत व्यक्ति के विरूद्ध अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जो निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22–2–2017 को निरस्त करने तथा उसकी पालना मे दर्ज समस्त नामांतरकरण को निरस्त करने एवं अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 1731 को यथावत रखने का निवेदन किया ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 15–12–2016 अनुसार अपीलांट अधिवक्ता (वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1) ने उपस्थित होकर पत्रावली पर नोट प्रेस एवं नो इन्स्ट्रक्शन प्लीड किये जाने पर अपील खारीज की जा चुकी थी एवं दिनांक 15–12–2016 तक पत्रावली प्रत्यर्थी के नोटिस तामिल एवं कायम मुकाम की कार्यवाही मे चल रही थी अथार्त पत्रावली मे वर्तमान अपीलांटगण की

तामिली शेष थी।

राजकीय अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील खारीज हो जाने के बाद अपीलांट अधिवक्ता (वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1) द्वारा जो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत प्रस्तुत किया उक्त प्रावधान वर्तमान मामले मे लागू नही होते तथा यह भी कथन किया कि फिर भी यदि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ भी था तो उस पर आदेश पारित करने से पूर्व प्रत्यर्थीगण (वर्तमान अपीलांट) को नोटिस तामिल करवाकर उनको सुनने के बाद ही किसी प्रकार का आदेश पारित किया जा सकता था जिसकी कोई पालना नही हुई है तथा अधीनस्थ न्यायालय मे वर्तमान अपीलांट की तामिल करवाये बिना तथा उन्हे सुनवाई का अवसर दिये बिना एकतरफा आदेश पारित किया है, जो न्याय के प्राकतिक सिद्धान्तो के विपरीत होने से उसे निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने तथा पुनः नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, उसकी आदेशिकाओं का अवलोकन किया तथा आदेश 9 नियम 9 सहपठित धारा 151 सीपीसी के प्रावधानो एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22–7–2017 का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया ।

अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 15–12–2016 मे अपीलांट अधिवक्ता (वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 अधिवक्ता) ने उपस्थित होकर पत्रावली पर नोट प्रेस एवं नो इन्स्ट्रक्शन प्लीड किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को खारीज कर दिया था तथा उक्त अपील के खारीज होने के बाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 अधिवक्ता की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सहपठित धारा 151 सीपीसी का प्रस्तुत किया जाने पर अधीनस्थ न्यायालय को सर्वप्रथम इस बिन्दु पर विचार किया जाना चाहिये था कि नोट प्रेस एवं नो इन्स्ट्रक्शन प्लीड के आधार पर खारीज की गई अपील को उक्त प्रार्थना पत्र के जरिये रेस्टोर की जा सकती थी अथवा नही । फिर भी उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर अपील को यदि रेस्टोर करना ही था तो उक्त प्रार्थना पत्र की सूचना बाबत नोटिस प्रत्यर्थीगण को दिया जाकर उक्त नोटिसेज तामिल के बाद प्रत्यर्थीगण को सुनकर किसी प्रकार का आदेश पारित किया जाना चाहिये था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सहपठित धारा 151 सीपीसी के प्रावधानो पर विचार किये बिना ही जो आदेश दिनांक 5–1–17 को पारित किया था वह विधिसम्मत नही माना जा सकता है ।

इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 15–12–2016 तक पत्रावली प्रत्यर्थी के नोटिस तामिल एवं कायम मुकाम की कार्यवाही मे चल रही थी अथार्त पत्रावली मे वर्तमान अपीलांटगण की तामिली शेष थी फिर भी वर्तमान अपीलांट (अधीनस्थ न्यायालय मे रेस्पो0) को सुने बिना तथा रेस्पो0 बावजुद सूचना के अनुपस्थित दर्शाते हुए एकतरफा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22–2–2017 को पारित किया है, जो

न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तो के विपरीत होने से समर्थन योग्य नही होने से उसे बहाल रखा जाना न्यायोचित नही है ।

परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मारवाड जंक्शन द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22–2–2017 को निरस्त कर प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वे अपीलांट एवं अन्य हितबद्ध पक्षकारो को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें ।

निर्णय आज दिनांक 30–10–2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(असलम मेहर)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर